

(01)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि० बागेश्वर

पत्रांक संख्या / 7394-7429/ प्राथमिक-जूनियर मान्यता / 2018-19 दिनांक 22 फरवरी 2019
सेवा में

प्रबन्धक / प्रधानाध्यापक
आनन्दी एकेडमी बागेश्वर
विकासखण्ड- बागेश्वर

विषय-

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की
धारा 18 के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार
नियमावाली 2011 के नियम 17 में उपनियम (6) के अर्न्तगत विद्यालय
की मान्यता का प्रमाण पत्र।


महोदय / महोदया


आपके निजी विद्यालय मान्यता आवेदन पत्र के क्रम में आपके विद्यालय को
कक्षा प्री.प्राईमरी से कक्षा 08 तक अंग्रेजी माध्यम से संचालन हेतु 01 अप्रैल 2019 से स्थायी मान्यता
की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन में अधीन होगी-

01. मान्यता किसी भी परिस्थिति में कक्षा 08 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
02. विद्यालय प्रशासन को 31 मार्च 2019 तक भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 341 दिनांक 10 अगस्त 2017 द्वारा बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के नियम-23(2) में किये गये संशोधन के क्रम में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) की अधिसूचना संख्या-856 दिनांक 17 अक्टूबर 2017 द्वारा निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 23(2) में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार निर्धारित अर्हतायें पूर्ण करने हेतु दिनांक 31 मार्च 2019 तक का समय प्रदान किया गया है निर्धारित समयान्तर्गत अर्हतायें पूर्ण न करने की स्थिति में विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय प्रशासन का होगा।
03. विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावाली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
04. विद्यालय अपनी कक्षा 01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों का करेगा तथा उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
05. संस्था / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान / कैपिटेशन शुल्क प्राप्त नहीं किया जाएगा तथा किसी भी बच्चे की परीक्षा या उसके माता-पिता / अभिभावक का साक्षात्कार नहीं किया जाएगा।


क्रमशः पृष्ठ 02 पर



Manager
Anandi Academy
Ghiroli (Bageshwar)


PRINCIPAL
ANANDI ACADEMY
GHIROLI

06. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसको आय प्रमाण पत्र, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद प्रवेश तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों से या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर मना नहीं करेगा।
07. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएंगे—
 (एक) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
 (दो) किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
 (तीन) किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
 (चार) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 35 के उपनियम (1) के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
 (पाँच) अधिनियम के प्राविधानों के आलोक में निःशक्त/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेश किया जाएगा।
 (पाँच) अधिनियम के प्राविधानों के आलोक में निःशक्त/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेश किया जाएगा।
 (छः) शिक्षकों की नियुक्ति अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं वे 01 वर्ष के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।
 (सात) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) तथा नियमावली के नियम 31 में प्राविधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
 (आठ) शिक्षक निजी-स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि (ट्यूशन) में संलग्न नहीं होंगे।
08. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।
09. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्राविधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत होगा —
 विद्यालय — परिसर का क्षेत्रफल
 कुल निर्मित क्षेत्र
 खेल के मैदान का क्षेत्र
 कक्षा— कक्षाओं की कुल संख्या
 प्रधानाध्यापक—सह—कार्यालय—सह भण्डार कक्ष
 बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग—अलग शौचालय
 पेयजल की सुविधा
 मध्याह्न भोजन के लिए रसोई—घर
 बाधारहित पहुँच
 शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल—कूद उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता
11. इस मान्यता द्वारा केवल विद्यालय परिसर में ही विद्यालय संचालित किया जायेगा। विद्यालय के नाम से अन्य कहीं विद्यालय संचालित नहीं होगा।


कमशः पृष्ठ 03 पर


 Manager
 Anandi Academy
 Ghiroli (Bageshwar)


 PRINCIPAL
 ANANDI ACADEMY
 GHIROLI

(03)

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शैक्षिक गतिविधियों हेतु किया जायेगा। इस भवन/संरचना या मैदान का उपयोग किसी प्रकार के व्यावसायिक कार्य हेतु नहीं किया जायेगा।
13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अर्न्तगत निबन्धित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. लेखा का अंकेक्षा एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उर्पयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
15. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 024 B 2019 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृप्या अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
16. राज्य सरकार/मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा समय-समय पर माँगे प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से सम्बन्धित कठिनाइयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनूपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
17. यदि सोसाइटी के पंजीकरण के नवीनीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
18. यदि विद्यालय द्वारा अधिनियम में दी गयी धाराओं को अवहेलना प्रमाणित होती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।
19. विद्यालय किसी भी दशा में स्वीकृत मान्यता के स्तर से अलग कक्षाओं के संचालन व स्वीकृत माध्यम से अलग माध्यम से संचालित किये जाने पर मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी जिसका उत्तरदायित्व विद्यालय प्रशासन का होगा।




(निशि शर्मा) 22/2/19

जिला शिक्षा अधिकारी प्रा०शि०

बागेश्वर

प्रारम्भिक शिक्षा

बागेश्वर



Manager
Anandi Academy
Ghuroli (Bageshwar)



PRINCIPAL
ANANDI ACADEMY
GHUROLI